टीएचडीसी इंडिया लि. में लागू हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. **हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने वाले कार्यपालकों के लिए पुरस्कार योजना** – यह योजना 01 नवंबर, 2002 से लागू है। यह केवल उन अधिकारी/अधिकारियों पर लागू होती है जिन्होंने पूरे वर्ष के दौरान हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन दिया है तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारी/अधिकारियों ने हिंदी विभाग को पूर्व सूचना दी हो। योजना के अंतर्गत 'क' अथवा 'ख' क्षेत्र के दो अधिकारियों को तथा 'ग' क्षेत्र क्षेत्र के दो अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है। शुरूआत में प्रत्येक वर्ग के दो-दो अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार स्वरुप रुपए 1000/- (एक हजार रुपए) तथा द्वितीय पुरस्कार स्वरुप रुपए 500/- (पांच सौ रुपए) मात्र प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया था जिसे अब बढ़ाकर प्रथम पुरस्कार स्वरुप रुपए 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपए) तथा द्वितीय पुरस्कार स्वरुप रुपए 1000/- (एक हजार रुपए) कर दिया गया है।

2. **हिंदी में मूल रूप से टिप्पण व आलेखन पुरस्कार योजना**- राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत हिंदी में मूल रूप से टिप्पण एवं आलेखन करने वाले 10 कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इसमें 02 प्रथम पुरस्कार- 5000 रु. प्रत्येक, 03 द्वितीय पुरस्कार-3000 रु.प्रत्येक एवं 05 तृतीय पुरस्कार 2000 रु. प्रत्येक पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।

3. **टीएचडीसी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना**- यह योजना 01 जनवरी, 2010 से लागू है। इसके अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी विद्युत/तकनीकी क्षेत्र से संबंधित विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखता है और योजना के अंतर्गत गठित समिति द्वारा पुस्तक के मूल्यांकन के पश्चात श्रेणीवार पुरस्कार स्वरूप निम्न राशियों के साथ एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिह्न भी प्रदान करने का प्रावधान है।

प्रथम पुरस्कार (1) 60,000/-रु.
द्वितीय पुरस्कार (1) 40,000/-रु.
तृतीय पुरस्कार (1) 25,000/-रु.
सांत्वना पुरस्कार (1) 10,000/-रु.

4. **अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी काम-काज करने के लिए अंग्रेजी निजी सचिवों/आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता** – यह योजना 05 मई, 2010 से लागू है। इसमें योजना की अन्य शर्तों के अध्यधीन अंग्रेजी आशुलिपि/टाइपिंग जानने वाले उन कार्मिकों को, जो अंग्रेजी के अतिरिक्त वस्तुतः अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में भी करते हैं, उनमें अंग्रेजी निजी सचिव/आशुलिपिक को 300 /- रू. प्रतिमाह एवं अंग्रेजी टाइपिस्ट को 250/-रू. प्रतिमाह विशेष भत्ता देने का प्रावधान है।

क्रमशः.. 2

Created by Universal Document Converter

5. **अनुभागाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों के लिए हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार योजना-** यह योजना 16 नवंबर, 2009 से लागू है। योजना के अंतर्गत अनुभागाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के हिंदी में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नियम एवं शर्तों तथा विहित प्रोफार्मा में प्रविष्टि के अध्यधीन करते हुए प्रथम पुरस्कार 2000/- रू., द्वितीय पुरस्कार 1500/- रू. एवं तृतीय पुरस्कार 1000/- रू. नकद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।

6. **हिंदी नोडल अधिकारियों को पुरस्कृत करना** – इस योजना के अंतर्गत विभागों/अनुभागों में नामोनिर्दिष्ट किए गए 10 हिंदी नोडल अधिकारियों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत चुने गए 10 हिंदी नोडल अधिकारियों को 750 रु. प्रत्येक नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है।

7. **राजभाषा गृह पत्रिका ''पहल'' में चयनित सर्वश्रेष्ठ 05 लेखों के लेखकों को पुरस्कृत करना** – प्रत्येक वर्ष निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'पहल' में प्रकाशित पांच सर्वश्रेष्ठ लेखों का चयन किया जाता है और उनके लेखकों को 1000 रु./ प्रत्येक के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है ।

8. **विभागों हेतु अंतर विभागीय चल राजभाषा शील्ड पुरस्कार योजना-** प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा के दौरान सभी विभागों से शील्ड हेतु प्रविष्टियां मांगी जाती हैं और उनका मूल्यांकन कर विजेता विभाग को चल राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है ।

****

Created by Universal Document Converter